BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 8 OF 2025
IN
APPEAL NO. 16 OF 2024

IN THE MATTER OF:

M/S. SALUGHTER HOUSE NAGAR
NIGAM SAHARANPUR .... APPLICANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL
BOARD ....RESPONDENTS

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply on behalf of U.P. Pollution Control Board.	
2.	**ANNEXURE-1** True Copy deseal the slaughterhouse.	
3.	**ANNEXURE-2** True copy of letter dated 11.09.2024	
4.	**ANNEXURE-3** True copy of letter dated 17.09.2024	
5	**ANNEXURE-4** True copy of reminder dated 04.10.2024	
6	**ANNEXURE-5.** True copy of the letter dated 15.10.2024	

7	**ANNEXURE-6** True copy of the letter dated 15.10.2024	
8	**ANNEXURE-7** True copy of the reminder dated 08.11.2024	
9	**ANNEXURE-8** True copy of letter dated 12.11.2024	
10	**ANNEXURE-9** True copy of letter dated 12.12.2024	

NEW DELHI
DATED: .03.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 8 OF 2025
IN
APPEAL NO. 16 OF 2024

IN THE MATTER OF:
M/S. SALUGHTER HOUSE NAGAR NIGAM SAHARANPUR **... APPLICANT**

VERSUS

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA NOTARIAL NOTARIAL

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD **.....RESPONDENTS**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I, Yogendra Kumar, S/o. Shri Pyare Lal aged about 49 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Saharanpur,U.P., do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That I in the capacity abovenoted am conversant with the facts and record of the present case, hence competent to swear this affidavit.

2. That the abovenoted matter came up for hearing on 29.01.2025 when this Hon'ble Tribunal has been pleased to issue notice.

3. That on 10.02.2024 the replying Respondent passed an order directing closure of Appellant Slaughterhouse, suspending the consent issued on 27.12.2019 and directing

disconnection of electricity, water and other facilities and imposing environmental compensation of Rs. 6,30,000/-. Against the order the Application has filed Appeal No. 16 of 2024 which was disposed of vide judgment and order dated 02.09.2024 wherein following directions have been given:

> "20. Hence, we dispose of the OA permitting the PP to give an undertaking before the Member Secretary, UPPCB to the effect that by 01.02.2025, either he will comply with the specific condition no. 19 of consent order dated 02.01.2020 of Water Act and specific condition no. 18 of the consent order dated 27.12.2019 of the Air Act about submitting the proposal for shifting of the slaughter house from residential area and shift the slaughter house outside the residential area by 01.02.2025, failing which it will close down unit and till that time, it will run the unit by following the environmental norms. If such an undertaking is submitted, the UPPCB will permit the PP to run the plant subject to the compliance of the undertaking and environmental norms at the present location till 01.02.2025."

NOTARY PUBLIC
Kareem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg. 32/10
GOVT. OF INDIA

4. That Animal Health and Welfare Officer, Nagar Nigam, Saharanpur wrote a letter dated 06.09.2024 to Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow requesting to deseal the slaughterhouse. A copy of the same is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

5. That the headquarter of U.P. Pollution Control Board vide letter dated 11.09.2024 has directed the Regional Office, Saharanpur to inform as to whether in compliance of the order passed by this Hon'ble Tribunal the slaughterhouse has submitted any undertaking or not and the said information be immediately supplied to the headquarter so that further action could be taken. True copy of letter dated 11.09.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2.**

6. That the Regional Office U.P. Pollution Control Board, Saharanpur vide letter dated 17.09.2024 asked the slaughterhouse, Nagar Nigam, Kamela Colony, Saharanpur to submit affidavit of undertaking immediately so that further action could be taken. True copy of letter dated 17.09.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3**.

NOTARY PUBLIC
Kalam Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg. 38/10
GOVT. OF INDIA

7. That again on 04.10.2024 reminder was issued by the Regional Office, U.P. Pollution Control Board to the said slaughterhouse to submit the undertaking alongwith affidavit so that further action could be taken. True copy of reminder dated 04.10.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-4**.

8. That on 15.10.2024 the Animal Health and Welfare Officer, Nagar Nigam, Saharanpur sent a letter to the Member Secretary stating therein that 100s of people are dependent on the slaughterhouse and it is suffering huge loss per year and slaughterhouse will be operated as per the directions issued by this Hon'ble Tribunal and no undisputed land is

available with Nagar Nigam, Saharanpur for the said work, hence the officers of U.P. Pollution Control Board, Saharanpur be directed to deseal the slaughterhouse. True copy of the letter dated 15.10.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-5**.

9. That on 15.10.2024 itself the Regional Office informed the Animal Health and Welfare Officer, Nagar Nigam, Saharanpur that the undertaking is still awaited, hence he should ensure to submit the undertaking immediately so that further action could be taken. True copy of the letter dated 15.10.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-6**.

NOTARY PUBLIC
Kazim Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Regd. 8886/10
GOVT. OF INDIA

10. That again on 08.11.2024 a reminder was issued. True copy of the reminder dated 08.11.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-7**.

11. That the Board's Headquarter vide letter dated 29.10.2024 has asked the Regional Office that Animal Health and Welfare Officer, Nagar Nigam, Saharanpur has submitted a letter, requesting to deseal the slaughterhouse, hence considering the same the clear recommendation be sent. Pursuant to the said letter the U.P. Pollution Control Board, Regional Office, Saharanpur vide letter dated 12.11.2024 has informed the headquarter that undertaking as directed by this Hon'ble Tribunal has yet not been submitted inspite of various letters. On submission of the undertaking the further action will be ensured. True copy of letter dated 12.11.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-8**.

12. That the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Saharanpur again on 12.12.2024 has issued fourth reminder asking the slaughterhouse to submit the undertaking. True copy of letter dated 12.12.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-9**.

13. That the Animal Health and Welfare Officer, Nagar Nigam, Saharanpur sent a letter dated 23.12.2024 to Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow stating therein that no undisputed land is available with Nagar Nigam, Saharanpur for the said works, hence it is not possible to relocate the slaughterhouse outside the city. It was further stated that slaughterhouse is equipped with all the facilities, hence the officers of Regional Office, Saharanpur be directed to deseal the slaughterhouse. True copy of letter dated 23.12.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-10**.

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA

14. That instead of giving undertaking the Petitioner filed Review Petition No. 21 of 2024 for review of the judgment dated 02.09.2024 which came up for hearing on 02.01.2025 when this Hon'ble Tribunal after hearing the parties by a detailed order dismissed the said Review Petition.

15. That thereafter the present Execution Petition has been filed through the contractor of the slaughterhouse.

16. That the present execution application is not maintainable as the same has been filed by the contractor and not by the Nagar Nigam who is the owner of the slaughterhouse.

17. That there is no violation or non-compliance of the judgment dated 02.09.2024, hence the present Execution Petition is liable to be dismissed.

PARAWISE REPLY:

1-2. That the contents of Paras 1 and 2 need no reply.

3. That in reply to the contents of Para 3 it is submitted that present Execution petition on behalf of contractor is not maintainable.

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Dist. Saharanpur Reg. 8255/10 GOVT. OF INDIA

4. That the contents of Para 4 are irrelevant for the purpose of present case.

5.1 – 5.3. That the contents of Paras 5.1 to 5.3 are matter of record, hence need no reply.

5.4. That the contents of Para 5.4 are absolutely wrong, hence denied. It is submitted that Annexure A2 is a letter and not the undertaking. Even otherwise undertaking has to be given by the owner of slaughterhouse i.e. Nagar Nigam, Saharanpur and not by the contractor. Thirdly undertaking should be in the shape of an affidavit. Besides this, it is clear that inspite of several letters by Regional Office, Saharanpur undertaking has not been furnished by Nagar Nigam, Saharanpur.

5.5. That the contents of Para 5.5 are matter of record.

5.6. That the contents of Para 5.6 are absolutely wrong, hence denied. It is denied that the undertaking as directed by this Hon'ble Tribunal has been furnished. On the contrary inspite of several letters and reminders no such undertaking has been submitted by Nagar Nigam, Saharanpur.

5.7. That the contents of Para 5.7 are matter of record.

5.8 – 5.9. That the contents of Paras 5.8 and 5.9 are wrong, hence denied. It is submitted that no undertaking as directed by this Hon'ble Tribunal has been submitted by Nagar Nigam, Saharanpur.

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Saharanpur GOVT. OF INDIA

5.10. That the contents of Para 5.10 are wrong, hence denied. Unless and until undertaking is given no action is required to be taken on behalf of replying Respondent.

5.11. That the contents of Para 5.11 are wrong, hence denied.

5.12. That the contents of Para 5.12 are wrong hence denied.

6. That the grounds mentioned are argumentative and will be replied at the time of hearing.

7. That the contents of Para 7 need no reply.

8. That the prayer clause is wrong, hence same is denied. the Applicant is not entitled for any relief.

In view of aforesaid facts and circumstances the present Execution Application is liable to be dismissed.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 24th DAY OF MARCH, 2025 AT SAHARANPUR.

DEPONENT

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Distt. Saharanpur Reg. 8286/10 GOVT. OF INDIA

IDENTIFIED BY

S.No. 846

ATTESTED
Reg. No.-8286/10
24 MAR 2025
KALEEM AHMAD
Advocate & Notary
Civil Court Saharanpur

Annexure-1

09/09/2024

कार्यालय नगर निगम, सहारनपुर।

पंत्राक– 191 / प0चि0क0अधि0 / न0नि0सहा0 / 2024–25 दिनांक– 06/09/24

प्रेषक,

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16/2024 (IA No.282/2024, IA No. 172/2024, IA No.169/2024, IA No.117/2024, IA No.116/2024) मै0 स्लाटर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वाद सं0 621/2024 (IA No.242/2024, IA No. 241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16/2024 (IA No.282/2024, IA No. 172/2024, IA No.169/2024, IA No.117/2024, IA No.116/2024) मै0 स्लाटर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वाद सं0 621/2024 (IA No.242/2024, IA No. 241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें पशुवधशाला नगर निगम सहारनपुर को नियमानुसार चलाने के सम्बंध में निर्देश दिये गये है। उक्त के दृष्टिगत पशुवधशाला नगर निगम सहारनपुर के पुनः संचालन हेतु दिनांक 28.05.2024 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर के अधिकारियों द्वारा पशुवधशाला में लगाई गई सील को खोला जाना अपेक्षित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16/2024 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

480
09/9/24

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, सहारनपुर।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, सहारनपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

Annexure-2 Annexure-6

पत्रावली संख्या ... दिनांक 23/09/2024 प्रपत्र संख्या 5-8

Type text here

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H17110 / सी–3 / NGT / 14124

दिनांक 11/9/24

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सहारनपुर।

मा0 एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील नं0–16 / 2024 (आई0ए0 नं0–116 / 2024 एवं आई0ए0 नं0–117 / 2024) मैसर्स स्लॉटर हाउस नगर निगम, सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 533 / O.A.No-16/2024(पशुवधशाला) / 2024 दिनांक 05.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील नं0–16 / 2024 (आई0ए0 नं0–116 / 2024 एवं आई0ए0 नं0–117 / 2024) मैसर्स स्लॉटर हाउस नगर निगम, सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय स्तर से दिशा–निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु आप द्वारा उक्त आख्या में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के मुख्य अंश 20.........Hence, we dispose of the OA permitting the PP to give an undertaking before the Member Secretary, UPPCB to the effect that by 01.02.2025, either he will comply with the specific condition no. 19 of consent order dated 02.01.2020 of Water Act and specific condition no. 18 of the consent order dated 27.12.2019 of the Air Act about submitting the proposal for shifting of the slaughter house from residential area and shift the slaughter house outside the residential area by 01.02.2025, failing which it will close down unit and till that time, it will run the unit by following the environmental norms. If such an undertaking is submitted, the UPPCB will permit the PP to run the plant subject to the compliance of the undertaking and environmental norms at the present location till 01.02.2025.

उक्त के अनुपालन में मै0 पशुवधशाला नगर निगम सहारनपुर से कोई Undertaking आपके कार्यालय में प्राप्त है अथवा नही का कोई उल्लेख नही किया गया है, जिसके कारण प्रश्नगत प्रकरण पर उच्चाधिकारियो / विधि–अनुभाग से विधिक परामर्श / अभिमत प्राप्त किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रमाणिक वाछिंत सूचनाए / प्रपत्र तत्काल अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण पर अपेक्षित कार्यवाही की जा सकें।

ASO 23/9

भवदीय,

Atulesh yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–3

प्रतिलिपिः मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–3

टी.सी. . 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ . 226 010
दूरभाष : 0522 2720828, 2720831
फैक्स : 0522 2720764, 2720676

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Annexure-3

दूरभाष : 2713526

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर–247001

पत्रांक : 555/NGTA-No. 16/2024/24 दिनांक: 17/09/2024

सेवा में,

मैसर्स पशुवधशाला नगर निगम,
कमेला कॉलोनी, सहारनपुर।

विषय– <u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील नं0–16/2024 (आई0ए0 नं0–116/2024 एवं आई0ए0 नं0–117/2024) मैसर्स स्लॉटर हाउस नगर निगम, सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक–02.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील नं0–16/2024 (आई0ए0 नं0–116/2024 एवं आई0ए0 नं0–117/2024) मैसर्स स्लॉटर हाउस नगर निगम, सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक–02.09.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"…….20. Hence, we dispose of the OA permitting the **<u>PP to give an undertaking before the Member Secretary, UPPCB</u>** to the effect that by 01.02.2025, either he will comply with the specific condition no. 19 of consent order dated 02.01.2020 of Water Act and specific condition no. 18 of the consent order dated 27.12.2019 of the Air Act about submitting the proposal for shifting of the slaughter house from residential area and shift the slaughter house outside the residential area by 01.02.2025, failing which it will close down unit and till that time, it will run the unit by following the environmental norms. If such an undertaking is submitted, the UPPCB will permit the PP to run the plant subject to the compliance of the undertaking and environmental norms at the present location till 01.02.2025."

उक्त पारित आदेशों के अनुपालन हेतु आप द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों को अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त पारित आदेशों के अनुक्रम में वांछित शपथ पत्र(Affidavit) इस कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रश्नगत प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

17/09/2024

(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

सन्दर्भ सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक–एच17110/सी–3/एन0जी0टी0/14/24 दिनांक–11.09.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-4

दूरभाष : 2713526

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर–247001

पत्रांक : 602/ई-8/2024 दिनांकः 04/10/2024

अनुस्मारक–1

सेवा में,

मैसर्स पशुवधशाला नगर निगम,
कमेला कॉलोनी, सहारनपुर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील नं0–16/2024 (आई0ए0 नं0–116/2024 एवं आई0ए0 नं0–117/2024) मैसर्स स्लॉटर हाउस नगर निगम, सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक–02.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील नं0–16/2024 (आई0ए0 नं0–116/2024 एवं आई0ए0 नं0–117/2024) मैसर्स स्लॉटर हाउस नगर निगम, सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पारित आदेश दिनांक–02.09.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"…….20. Hence, we dispose of the OA permitting the **PP to give an undertaking before the Member Secretary, UPPCB** to the effect that by 01.02.2025, either he will comply with the specific condition no. 19 of consent order dated 02.01.2020 of Water Act and specific condition no. 18 of the consent order dated 27.12.2019 of the Air Act about submitting the proposal for shifting of the slaughter house from residential area and shift the slaughter house outside the residential area by 01.02.2025, failing which it will close down unit and till that time, it will run the unit by following the environmental norms. If such an undertaking is submitted, the UPPCB will permit the PP to run the plant subject to the compliance of the undertaking and environmental norms at the present location till 01.02.2025."

उक्त पारित आदेशों के अनुपालन हेतु आप द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालस के पत्रांक 555/एन.जी.टी.ए.नं०16/2024/24 दिनांक 17.09.2024 द्वारा पूर्व में आपको निर्देशित किया गया था परन्तु आप द्वारा अभी तक वाछित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराई गयी है जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों को अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। तत्क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त पारित आदेशों के अनुक्रम में वांछित शपथ पत्र(Affidavit) इस कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रश्नगत प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

04/X/2024

(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

सन्दर्भ सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. नगर आयुक्त महोदय नगर निगम सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक–एच17110/सी–3/एन0जी0टी0/14/24 दिनांक–11.09.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय नगर निगम, सहारनपुर।

Annexure-5

पत्रांक– 223 / प0चि0क0अधि0 / न0नि0सहा0 / 2024–25 दिनांक– 15/10/2024

प्रेषक,

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16 / 2024 (IA No.282/2024, IA No. 172/2024, IA No.169/2024, IA No.117/2024, IA No.116/2024) मै0 स्लाटर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वाद सं0 621 / 2024 (IA No.242/2024, IA No. 241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर के पत्र सं0–602 / 5–8 / 2024 दिनांक 04.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16 / 2024 (IA No.282/2024, IA No. 172/2024, IA No.169/2024, IA No.117/2024, IA No.116/2024) मै0 स्लाटर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वाद सं0 621 / 2024 (IA No.242/2024, IA No. 241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के द्वारा पशुवधशाला नगर निगम सहारनपुर को नियमानुसार चलाने के सम्बंध में निर्देश दिये गये है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम सहारनपुर के स्वामित्व की पशुवधशाला ई.टी.पी. व रेण्डरिंग प्लांट आदि आधुनिक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं से युक्त कमेला कालोनी सहारनपुर में स्थापित है। कमेला कालोनी की अधिकांश आबादी पशुवधशाला एवं मीट व्यवसाय पर ही निर्भर है। पशुवधशाला का संचालन न होने के कारण सैंकड़ो लोग जो पशुवधशाला पर निर्भर है उन्हे अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड रहा है। उक्त के अतिरिक्त पशुवधशाला का संचालन न होने के कारण नगर निगम सहारनपुर को प्रतिवर्ष 2,62,00786 / रू0 की हानि हो रही है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार पशुवधशाला को मानक अनुसार संचालित किया जायेगा। उक्त के दृष्टिगत पशुवधशाला को संचालित किया जाना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में नगर निगम सहारनपुर के पास उपरोक्त कार्य हेतु उक्त स्थान के अतिरिक्त कोई भी निर्विवादित भूमि उपलब्ध नही है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मै. स्लाटर हाउस कमेला कालोनी के पुनः संचालन हेतु दिनांक 28.05.2024 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर के अधिकारियों द्वारा पशुवधशाला में लगायी गई सील को खोलने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, सहारनपुर।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, सहारनपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

Annexure-6

दूरमाष :2713526

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

कार्यालय का पता— 33/18 कपिल विहार, निकट विश्वकर्मा चौक, सहारनपुर—247001

सन्दर्भ संख्या—616/OA-16/2024 दिनांकः—15/10/2024

अनुस्मारक-2

सेवा में,

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16/2024 (IA No. 285/2024, IA No.172/2024, IA No. 169/2024, IA No. 117/2024, IA No. 116/2024) मै0 स्लास्टर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वाद सं0 621/2024 (IA No. 242/2024, IA No.241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्राक 223/प0चि0क0अधि0/न0नि0सहा0/2024—25 दिनांक 15.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16/2024 (IA No. 282/2024, IA No. 172/2024, IA No. 169/2024, IA No. 117/2024, IA No. 116/2024) मै0 स्लाटर हाऊस, नगर निगम सहारनपुर वनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं बाद सं0 621/2024 (IA No. 242/2024, IA No. 241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के द्वारा पशुवधशाला नगर निगम सहारनपुर को नियमानुसार चलाने के सम्बंध में निर्देश दिये गये है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि नगर निगम सहारनपुर के स्वामित्व की पशुवधशाला ई.टी.पी. व रेण्डरिंग प्लांट आदि आधुनिक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं से युक्त कमेला कालोनी सहारनपुर में स्थापित है। कमैला कालोनी की अधिकांश आबादी पशुवधशाला पर निर्भर है उन्हे उपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड रहा है। उक्त के अतिरिक्त पशुवधशाला का संचालन न होने के कारण नगर निगम सहारनपुर को प्रतिवर्ष 2,62,00786/रू0 की हानि हो रही है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार पशुवधशाला को मानक अनुसार संचालित किया जायेगा। उक्त के दृष्टिगत पशुवधशाला को संचालित किया जाना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में नगर निगम सहारनपुर के पास उपरोक्त कार्य हेतु उक्त स्थान के अतिरिक्त कोई भी निर्विवादित भूमि उपलब्ध नही है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद सं0 16/2024 (IA No. 285/2024, IA No.172/2024, IA No. 169/2024, IA No. 117/2024, IA No. 116/2024) में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 555/एन0जी0टी0 ए0न0 16/2024 दिनांक 17.09.2024 एवं 602/एस—8/2024 दिनांक 04.10.2024 द्वारा वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे परन्तु अधतन दिनांक तक वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को अप्राप्त है जिसके कारण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन हेतु वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। जिससे कि प्रश्नगत प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय

15/x/2024
(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः—

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम सहारनपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—3) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को उनके पत्रांक एच017110/सी—3/एन0जी0टी0/14/24 दिनांक 11.09.2024 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षे68 कार्यालय Annexure-7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल विहार, निकट विश्वकर्मा चौक, सहारनपुर।

सन्दर्भ संख्या– 669/O.A-16/2024 **दिनांकः–** 08.11.2024

सेवा में,

मै0 पशुवधशाला नगर निगम,
कमेला कॉलोनी, सहारनपुर।

<u>अनुस्मारक</u> - 3

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित अपील सं0 16/2024 (IA No. 285/2024, IA No.172/2024, IA No. 169/2024, IA No. 117/2024, IA No. 116/2024) मै0 स्लास्टर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं ओ0ए0 सं0 621/2024 (IA No. 242/2024, IA No.241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद सं0 16/2024 (IA No. 285/2024, IA No.172/2024, IA No. 169/2024, IA No. 117/2024, IA No. 116/2024) में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के मुख्य अंश निम्नवत है–

*".......20. Hence, we dispose of the OA permitting the **<u>PP to give an undertaking before the Member Secretary, UPPCB</u>** to the effect that by 01.02.2025, either he will comply with the specific condition no. 19 of consent order dated 02.01.2020 of Water Act and specific condition no. 18 of the consent order dated 27.12.2019 of the Air Act about submitting the proposal for shifting of the slaughter house from residential area and shift the slaughter house outside the residential area by 01.02.2025, failing which it will close down unit and till that time, it will run the unit by following the environmental norms. If such an undertaking is submitted, the UPPCB will permit the PP to run the plant subject to the compliance of the undertaking and environmental norms at the present location till 01.02.2025....."*

उक्त आदेश के अनुपालन में पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 555/एन0जी0टी0 ए0न0 16/2024 दिनांक 17.09.2024 एवं 602/एस–8/2024 दिनांक 04.10.2024 तथा 616/ओ0ए0 16/2024 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से उपरोक्तानुसार वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे परन्तु अद्यतन दिनांक तक वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को अप्राप्त है। जिसके कारण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन हेतु वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे कि प्रश्नगत प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय
08/XI/2024
(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम सहारनपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी नगर निगम सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Anneure-8

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल विहार, निकट विश्वकर्मा चौक, सहारनपुर।

सन्दर्भ संख्या– 681/ OA - 16/2024 दिनांकः– 12/11/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित अपील सं0 16/2024 (IA No. 285/2024, IA No.172/2024, IA No. 169/2024, IA No. 117/2024, IA No. 116/2024) मै0 स्लास्टर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं ओ0ए0 सं0 621/2024 (IA No. 242/2024, IA No.241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच0 19212/सी–3/एन0जी0टी0–374/24 दिनांक 29.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से कार्यालय नगर निगम सहारनपुर का पत्र सं0 223/प0चि0क0अधि0/न0नि0सहा0/2024–25 दिनांक 15.10.2024 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित अपिल सं0 16/2024 (IA No. 285/2024, IA No.172/2024, IA No. 169/2024, IA No. 117/2024, IA No. 116/2024) में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 555/एन0जी0टी0 ए0न0 16/2024 दिनांक 17.09.2024 एवं 602/एस–8/2024 दिनांक 04.10.2024 तथा 616/ओ0ए0 16/2024 दिनांक 15.10.2024 एवं 669/ओ0ए0 16/2024 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से उपरोक्तानुसार वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पशुवधशाला नगर निगम सहारनपुर को पत्र प्रेषित किये गये है जिनकी प्रति बोर्ड मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की गयी है। पशुवधशाला नगर निगम सहारनपुर द्वारा अद्यतन दिनांक तक वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी है। जिसके कारण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उद्योग द्वारा वान्छित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

12/11/2024

(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

Anneure-9

70

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर-247001

पत्रांक : 801/O.A-16/2024 दिनांक : 12/12/2024

सेवा में,

मै0 पशुवधशाला नगर निगम,
कमेला कॉलोनी,
सहारनपुर।

अनुस्मारक – 4

विषयः– **माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित अपील सं0 16/2024 (IA No. 285/2024, IA No.172/2024, IA No. 169/2024, IA No. 117/2024, IA No. 116/2024) मै0 स्लास्टर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं ओ0ए0 सं0 621/2024 (IA No. 242/2024, IA No.241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद सं0 16/2024 (IA No. 285/2024, IA No.172/2024, IA No. 169/2024, IA No. 117/2024, IA No. 116/2024) में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के मुख्य अंश निम्नवत है–

*".......20. Hence, we dispose of the OA permitting the **PP to give an undertaking before the Member Secretary, UPPCB** to the effect that by 01.02.2025, either he will comply with the specific condition no. 19 of consent order dated 02.01.2020 of Water Act and specific condition no. 18 of the consent order dated 27.12.2019 of the Air Act about submitting the proposal for shifting of the slaughter house from residential area and shift the slaughter house outside the residential area by 01.02.2025, failing which it will close down unit and till that time, it will run the unit by following the environmental norms. If such an undertaking is submitted, the UPPCB will permit the PP to run the plant subject to the compliance of the undertaking and environmental norms at the present location till 01.02.2025....."*

उक्त आदेश के अनुपालन में पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक ***555/एन0जी0टी0 ए0न0 16/2024 दिनांक 17.09.2024 एवं 602/एस-8/2024 दिनांक 04.10.2024, 616/ओ0ए0 16/2024 दिनांक 15.10.2024 तथा 669/ओ0ए0 स0-16/2024 दिनांक- 08.11.2024*** के माध्यम से उपरोक्तानुसार वाछिंत अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे परन्तु अद्यतन दिनांक तक वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को अप्राप्त है। जिसके कारण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन हेतु वान्छित अण्डरटेकिंग इस कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे कि प्रश्नगत प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय

12/12/2024

(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, सहारनपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/c

Annexure-10

कार्यालय पशु कल्याण अनुभाग, नगर निगम सहारनपुर।

पत्रांकः— 270 /प0क0अनु0/न0नि0सहा0/2024—25 दिनांक— 27/12/24

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः— **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16/2024 (IA No.282/2024, IA No. 172/2024, IA No.169/2024, IA No.117/2024, IA No.116/2024) मै0 स्लाटर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वाद सं0 621/2024 (IA No.242/2024, IA No. 241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर के पत्र सं0—801/O.A—16/2024/2024 दिनांक 12.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16/2024 (IA No.282/2024, IA No. 172/2024, IA No.169/2024, IA No.117/2024, IA No.116/2024) मै0 स्लाटर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वाद सं0 621/2024 (IA No.242/2024, IA No. 241/2024) सलीम बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के द्वारा पशुवधशाला नगर निगम सहारनपुर को नियमानुसार चलाने व पशुवधशाला को आबादी क्षेत्र से बाहर करने की अंडरटेकिंग सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम सहारनपुर के स्वामित्व की पशुवधशाला ई.टी.पी. व रेण्डरिंग प्लांट आदि आधुनिक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं से युक्त कमेला कालोनी सहारनपुर में स्थापित है। कमेला कालोनी की अधिकांश आबादी पशुवधशाला एवं मीट व्यवसाय पर ही निर्भर है। पशुवधशाला का संचालन न होने के कारण सैंकड़ो लोग जो पशुवधशाला पर निर्भर है उन्हे अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड रहा है। उक्त के अतिरिक्त पशुवधशाला का संचालन न होने के कारण नगर निगम सहारनपुर को प्रतिवर्ष 2,62,00786/रू0 की हानि हो रही है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार पशुवधशाला को मानक अनुसार संचालित किया जायेगा। वर्तमान में नगर निगम सहारनपुर के पास उपरोक्त कार्य हेतु उक्त स्थान के अतिरिक्त कोई भी निर्विवादित भूमि उपलब्ध नही है तथा नगर निगम सहारनपुर द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में उपरोक्त निर्णय में रिव्यू की अपील की गई है।

अतः वर्तमान में नगर निगम सहारनपुर के पास उपरोक्त कार्य हेतु उक्त स्थान के अतिरिक्त कोई भी निर्विवादित भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में पशुवधशाला को शहर से बाहर ले जाना अभी संभव नहीं है चूंकि नगर निगम के स्वामित्व की पशुवधशाला समस्त आधुनिक संसाधनों से युक्त है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक अनुसार है। जिसके दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मै. स्लाटर हाउस कमेला कालोनी के पुनः संचालन हेतु दिनांक 28.05.2024 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर के अधिकारियों द्वारा पशुवधशाला में लगायी गई सील को खोलने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

प्रतिलिपिः—

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय प्रथम को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।